भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1710
28 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

egkuxjksa dh efyu cfLr;ksa dk mUewyu djuk

1710- lqJh feeh pØorhZ%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;**Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj egkuxjksa dh efyu cfLr;ksa dk mUewyu djus esa foQy jgh gS(
¼[k½ D;k ljdkj dk egkuxjksa dh efyu cfLr;ksa ds mUewyu ds fy, lacaf/kr jkT; ds lg;ksx ls egkuxjksa esa ih,e,okbZ ;kstuk dks ,,evkj;wVh ^ve`r* ;kstuk ls tksM+us dk fopkj gS(vkSj
¼x½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : 'भूमि' और कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसलिए स्लम को समाप्त करने हेतु स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार अपनी आवासीय कमियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता कर रही है। वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास की सुविधा प्रदान करने की भारत सरकार के विजन के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन का कार्यान्वयन सभी पात्र शहरी परिवारों सहित स्लम निवासियों के लिए बुनियादी नागरिक अवसंरचना जैसे जल, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि से युक्त सभी मौसम अनुकूल पक्के आवास प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों शहरी स्थानीय निकायों को (यूएलबी) को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु जून 2015 से किया जा रहा है। पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत 'स्वस्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक मेट्रो शहरों सहित पूरे भारत में स्लम निवासियों को

आवास प्रदान करने के लिए एक संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग का अधिदेश देता है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य औपचारिक शहरी पुनर्वास में पात्र स्लम निवासियों को लाकर उन्हें आवास प्रदान करने के लिए स्लम के अंदर आने वाली भूमि की निहित क्षमता को बढ़ाना है।

(ख) और (ग) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली आवास परियोजनाओं में सभी संबद्ध स्कीमों जिनमें अमृत भी शामिल है, के साथ समाभिरूपता सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है।